FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

रामफूल वगै0 बनाम गोविन्द वगै0 बनाम

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

नवीन वाद मुकदमा नं0 49/2018

...म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20.06.2018	वादीगण रामफूल, विष्णुकुमार, सुरेश पुत्रगण शंकर व नर्बदा देवी पत्नि शंकर समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिमारला जागीर तहसील नीमकाथाना ने उपस्थित होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– नाथूसर के अटल सेवा केन्द्र में नवीन वाद पत्र बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र में दर्ज समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया। दौराने शिविर उपस्थित वादीगण की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण पक्षकारान् की पहचान श्री फूलचन्द सामोता एडवोकेट ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से उपस्थित उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 826, 830, 848 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सिमारला जागीर में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी शिवप्रसाद पिता नारायण के नाम व 1/2 हिस्से की खातेदारी हरचन्द पुत्र शिवबक्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादपत्र में अंकित सजरा खानदान अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब परिवार से है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की पारिवारिक पुश्तैनी भूमि है। जिस पर वादीगण के पिता ही अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे है। खातेदार शिवप्रसाद उर्फ श्योप्रसाद पुत्र महादेव नाऔलाद फौत हो चूका है। खातेदार हरनन्द पुत्र शिवबक्स अविवाहित फौत हो चूका है। मुताबिक वंशावली बल्लाराम के दो पुत्र	रामफूल शर्मा विष्णु सुरेश वादीगण की पहिचान कमल कुमार Adv 20/6/18 गोविन्द गिरधारी द्रोपती प्रतिवादीगण की पहिचान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में ज...
प्रतिवादी नं0 4 औपचारिक पक्षकार है। 27/06/18	रामफूल वगै0 बनाम् गोविन्द वगै0 दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा नवीन वाद मुकदमा नं049/2018	

बिहारी व छीतर हुए है। बिहारी के शंकर व सीताराम दो पुत्र हुये है। जिसमें सीताराम, छीतर के गोद गया हुआ है। सीताराम का देहान्त हो चूका है। जिसके वारिसान् के हक हिस्से में दूसरी भूमि आयी हुई है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण के पिता शंकर के हिस्से में तन्हा रूप से आयी हुई है। जिस पर पूर्व में वादीगण का पिता काबिज काश्त रहा है। वर्तमान में वादीगण पूर्णतया काबिज काश्त है। वादीगण उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार कानूनन हो चूके है। उक्त भूमि की खसरा गिरदावरीयॉ बहक वादीगण है। खातेदारी के अभाव में वादीगण को सख्त हक तलफी है। उक्त भूमि की खातेदारी बुजुर्ग श्योप्रसाद व हरनन्द के चली आ रही है। जिस बाबत वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को कई बार कहा गया। अब आनाकानी करने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।

वादपत्र पेश होने पर दौराने शिविर में ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर से राजस्व रिकार्ड के पुराने व नये रिकार्ड का मिलान किया गया तथा शिविर के दौरान उपस्थित जन समूह से प्रकरण के बारे में वस्तुस्थिति की जॉच की गई। उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 4 भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने तथा जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। इस पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की जॉच करने पर पाया गया कि खसरा गिरदावर सम्वत् 2031, 2032, 2033 में वादीगण के पिता शंकरलाल पुत्र बिहारीलाल का नाम कृषक के कॉलम में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में वादी नम्बर 1 रामफूल पुत्र शंकर का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033, प्रदर्श–4 ए मृत्यु प्रमाण पत्र शिवप्रसाद पुत्र महादेव, प्रदर्श–5 ए मृत्यु प्रमाण पत्र हरनन्द पुत्र शिवबक्स, प्रदर्श–6 जमाबन्दी खतौनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

रामफूल वगै0 बनाम् गोविन्द वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0 49/2018

संख्या 87 सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श–7 ए नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069, प्रदर्श–8 प्रमाण पत्र बाबत वारिसनामा द्वारा ग्राम पंचायत सिमारला जागीर जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से सहमत होते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा भी पेश किया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से पूर्णरूपेण सहमत होते हुए वादीगण के पक्ष में लोक अदालत में राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा भी पेश कर वादपत्र का समर्थन किया है। जो पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी साबित होता है।

वादपत्र में दर्ज समस्त पक्षकारान् एक ही कुटुम्ब परिवार से होना वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त भूमियॉ पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व मौरूसी भूमियॉ है तथा उक्त भूमियों को पक्षकारान् ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिसके अनुसार खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रकरण में पक्षकारान् ने राजीनामा भी पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से चाहने हेतु वादपत्र पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया है। जिस हेतु समस्त पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सहमती व्यक्त की है।

प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही न्याय हित में लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

Om-

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व
जो इस
में जारी

रामफूल वगै0 बनाम् गोविन्द वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0 49/2018

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 20.06.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से व बंटवारें में आयी हुई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र–नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–नाथूसर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner